

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या - 20/2020

सुमन मिंज बनाम् निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

27/10/2020

आवेदक सुमन मिंज पिता बोनिफस मिंज निवास ग्राम- कैथोलिक आश्रम भुरकुण्डा, पो0- भुरकुण्डा, थाना-पतरातू, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा निचे वर्णित भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत निर्मला मध्य (मिडिल) विद्यालय, कोतो, ग्राम- कोतो, पो0- कोतो, थाना- पतरातू, जिला रामगढ़ (झारखण्ड) के नाम से हस्तान्तरित/बिक्री करने हेतु अनुमति आवेदन दायर किया गया है।

अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :-

मौजा	थाना/थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकबा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकबा में) (डिसमील)
कोतो	पतरातू/18	07	391	100 डिसमील
कुल रकबा				100 डिसमील (एक सौ डिसमील)

अपर समाहर्ता, रामगढ़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख सुनवाई हेतु दिनांक...13/11/2020.....को रखें।

उपायुक्त,  
रामगढ़।

13/11/2020

जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त।

प्रथम पक्ष - अनुपस्थित

On 18.12.2020.

18/12/2020

जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त।

आवेदक - अनुपस्थित

दिनांक 20/01/2021 को रखें।

671/विधि  
5/11/2020

20/01/2024

ऑंच प्रतिवेदन अप्राप्त।  
आवेदक - Absent

on 10/02/21


10/02/2024

ऑंच प्रतिवेदन अप्राप्त।  
आवेदक - अनुपस्थित  
दिनांक 24/02/2024 को एवं

24/02/2024

ऑंच प्रतिवेदन अप्राप्त।  
आवेदक - अनुपस्थित।

1<sup>st</sup> Party regularly absent. Dropped due to disinterest/default .

  
24/02/21